न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
जिला जोधपुर—ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 71 / 2024

प्रार्थीगण :—श्री रामकरण फड़ाक पुत्र श्री संग्रामराम, जाति जाट, निवासी बोरून्दा, तहसील पीपाड़ शहर , जिला जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थी :— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :— प्रार्थीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट

अप्रार्थी सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 724 / 75 रकबा 2.4270 हैक्टेयर आई हुई है, जो प्रार्थी की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्त सुदा भूमि हैं। जिसके पड़ौस उत्तर में खसरा संख्या 724 / 49, दक्षिण में खसरा संख्या 724 / 49, पश्चिम में खसरा सं. 724 / 49 व पूर्व में खसरा संख्या 736 / 7 की भूमि स्थित हैं। उपरोक्त खसरे की भूमि प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.05.2023 को विक्रेता कैलाशचन्द्र पुत्र श्रीकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों का बास ग्राम रणसीगांव वालों से खरीद की। वक्त खरीद से खरीदसुदा उक्त खसरे की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं तथा खरीद के पूर्व विक्रेता का उक्त खसरे की भूमि पर कब्जा काश्त था। हाल ही में हुए सेग्रीगेशन के दौरान खसरा संख्या 724 / 75 की मौके की जांच कर मौके अनुसार ऑनलाईन नक्शे में हल्का पटवारी द्वारा तरमीम की गयी, जिसकी नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। लट्ठा ट्रेस नक्शे में खसरा संख्या 724 / 75 की तरमीम मौके अनुसार नहीं की हुई है यानि लटठा ट्रेस नक्शे में खसरा संख्या 724 / 75 की तरमीम गलत की हुई हैं। लट्ठा ट्रेस नक्शे में खसरा संख्या 724 / 75 की तरमीम खसरा संख्या 711, 710 व खसरा संख्या 702 के मध्य की हुई हैं। जबकि खसरा संख्या 724 / 75 की भूमि के पड़ौस खसरान की भूमि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार हैं। लटठा

ट्रेस नक्शे में की गई गलत तरमीम के अनुसार प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त भी नहीं हैं, प्रार्थी का कब्जा काश्त ऑनलाईन नक्शे में की गयी सही तरमीम के अनुसार हैं। प्रार्थी को लट्ठा ट्रेस नक्शे में खसरा संख्या 724/75 की गयी गलत तरमीम की जानकारी हाल ही में हुई हैं। जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से सम्पर्क किया तथा लट्ठा ट्रेस में प्रार्थी की खातेदारीसुदा, खरीदसुदा, कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 724/75 की की गयी गलत तरमीम को ऑनलाईन नक्शे में की गयी सही तरमीम के अनुसार शुद्ध किये जाने हेतु निवेदन किया, जिस पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के निवेदन को अस्वीकार कर दिया तथा कहा कि इस हेतु श्रीमान सक्षम है। इसलिए प्रार्थी की खातेदारीसुदा, खरीदसुदा, कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 724/75 की लट्ठा ट्रेस में की गयी गलत तरमीम के स्थान पर ऑनलाईन नक्शे में की गयी सही तरमीम के अनुसार शुद्ध किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया हैं।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा में स्थित प्रार्थी की खातेदारीसुदा, खरीदसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 724/75 रकबा 2.4270 हैक्टेयर की लट्ठा ट्रेस नक्शे में की गई सही तरमीम के अनुसार शुद्ध/दुरूस्त किये जाने हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब मय नजरी नक्शा पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रणसीगांव में स्थित भूमि खसरा सं. 724/75 रकबा 2.4270 हैक्टेयर आई हुई है, जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार प्रार्थी की खातेदारी सुदा व कब्जासुद हैं। ऑनलाईन नक्शे अनुसार उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में ख.सं. 724/29 तथा पूर्व में ख.सं. 736/7 की भूमि स्थित हैं। सेग्रीगेशन के दौरान खसरा सं. 724/75 की तरमीम ऑनलाईन नक्शे में की गई हैं। जिसकी नकल दावे के साथ संलग्न हैं। पटवारी हल्का के पास मौजूद लट्ठा ट्रेस नक्शे में खसरा सं. 724/75 की तरमीम प्रार्थी के कब्जासुदा भूमि अनुसार नहीं है। ऐसा पटवारी हल्का द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया हैं। लट्ठा ट्रेस नक्शे में खसरा सं. 724/75 की तरमीम खसरा सं. 711, 710 व खसरा सं. 702 के बीच में की हुई हैं। जबकि प्रार्थी का कब्जा, ऑनलाईन नक्शें में की गई तरमीम अनुसार हैं, लट्ठा ट्रेस नक्शे में की गई तरमीम अनुसार प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। अन्त में जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की खातेदारीसुदा व कब्जासुद भूमि खसरा सं. 724/75 की लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम को ऑनलाईन नक्शे में की गई तरमीम अनुसार दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न लट्ठा ट्रेस नक्शा का मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे विदित होता है कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार प्रार्थी की खातेदारीसुदा व कब्जासुद भूमि खसरा सं. 724/75 ऑनलाईन नक्शें में की गई तरमीम अनुसार हैं, लट्ठा ट्रेस नक्शे में की गई तरमीम अनुसार प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। चुंकि प्रार्थी का कब्जा ऑनलाइन नक्शे में की गई तरमीम अनुसार हैं। जिस हेतु प्रार्थी की खातेदारीसुद कब्जासुद भूमि खसरा सं. 724/75 की लट्ठा ट्रेस नक्शा में की तरमीम को ऑनलाईन नक्शे में की गई तरमीम अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम रणसी गांव की भूमि खसरा सं. 724/75 की लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम को ऑनलाईन नक्शे में की गई तरमीम अनुसार दुरूस्त कर पालना न्यायालय के समक्ष पेश करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा